

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस

मि0न0 - 243/2022

अनवान : -



1. प्रतापसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना तहसील भादरा।
2. टोडर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
4. मन्जू पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
5. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नेठराना।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 12-12-2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 78/70 के मु0न0 65 के किला न0 19, 20/1, मु0न0 66 के किला न0 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 17/4, की कुल 0.4990 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता व इसी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 62/53 के मु0न0 9 के किला न0 7, 8, 13/1, 14, 15, 16, 17, 24 मु0न0 24 के किला न0 4, 7, 14, 16/2, 17, की कुल 2.5410 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा आदराम की खातेदारी हुआ करती थी। आदराम के बाद प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं0 5-6 को तकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रतापसिंह पुत्र भादरराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 78/70 के मु0न0 65 के किला न0 19, 20/1, मु0न0 66 के किला न0 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 17/4, की कुल 0.4990है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता व इसी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 62/53 के मु0न0 9 के किला न0 7, 8, 13/1, 14, 15, 16, 17, 24 मु0न0 24 के किला न0 4, 7, 14, 16/2, 17, की कुल 2.5410है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1-2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 78/70 के मु0न0 65 के किला न0 19, 20/1, मु0न0 66 के किला न0 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 17/4, की कुल 0.4990है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता व इसी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 62/53 के मु0न0 9 के किला न0 7, 8, 13/1, 14, 15, 16, 17, 24 मु0न0 24 के किला न0 4, 7, 14, 16/2, 17, की कुल 2.5410है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं 01 भादरराम की बजाए वादी प्रतापसिंह तथा प्रतिवादी सं 01 भादरराम व प्रतिवादी सं 2 टोडर को बहिस्सा बराबर के खेतदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) B.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 - 243/2022

अनवान : -

1. प्रतापसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।

वादी


बनाम

1. भादरराम पुत्र आदरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना तहसील भादरा।
2. टोडर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
4. मन्जू पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी 6 एनटीआर नेठराना त0 भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 78/70 के मु0न0 65 के किला न0 19, 20/1, मु0न0 66 के किला न0 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 17/4, की कुल 0.4990है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता व डरी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 62/53 के मु0न0 9 के किला न0 7, 8, 13/1, 14, 15, 16, 17, 24 मु0न0 24 के किला न0 4, 7, 14, 16/2, 17, की कुल 2.5410है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 01 भादरराम की बजाए वादी प्रतापसिंह तथा प्रतिवादी सं0 01 भादरराम व प्रतिवादी सं0 2 टोडर को बहिस्सा बराबर के खेतदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~12-12-2022~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़